राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 194/2015/चित्तौड़.
2. अपील संख्या – 195/2015/चित्तौड़.
3. अपील संख्या – 196/2015/चित्तौड़.
4. अपील संख्या – 197/2015/चित्तौड़.
5. अपील संख्या – 198/2015/चित्तौड़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–चित्तोड़गढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जैन ब्रदर्स, साडास, गंगरार, चित्तौड़गढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27/07/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उक्त पाँचों अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 60, 61, 62, 63 व 64/वेट/12–13/चित्तौड़ में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 02.09.2013 सपठित आदेश दिनांक 23.01.2014 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के विरूद्ध पेश की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 13.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. इन पाँचों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से पाँचों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की मूल प्रति सभी पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 08.10.2009 को किया जाने पर आलौच्य अवधियों वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान लूज पर्चियों के माध्यम से अनाज, तिलहन, ग्वार व खाली बारदाने का उचन्त विक्रय किया जाना पाया गया। उक्त प्रकरणों

लगातार.....2

का निस्तारण आदेश दिनांक 31.03.2010 से किया गया। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.2010 से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरणों में पुनः आदेश पारित किये जावें। उक्त आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरणों में दिनांक 13.09.2012 को आलौच्य अवधियों के पृथक—पृथक आदेश पारित करते हुए निम्न तालिका अनुसार मांग सृजित की गयी :—

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			
		कर	ब्याज	शास्ति	योग
194/14	2005—06	12,658/—	9,114/—	25,816/—	47,588/—
195/14	2006—07	26,473/—	18,531/—	57,860/—	1,02,864/—
196/14	2007—08	36,052/—	21,631/—	79,314/—	1,36,997/—
197/14	2008—09	29,284/—	14,056/—	64,425/—	1,07,765/—
198/14	2009—10	14,340/—	5,162/—	31,540/—	51,042/—

4. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2013 सपठित आदेश दिनांक 23.01.2014 अन्तर्गत धारा 33 वेट अधिनियम से आंशिक स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं तथा लूज पर्चियों के आधार पर करापवंचित बिक्री पाये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का समुचित विश्लेषण किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि आलौच्य अवधि में ग्वार करमुक्त वस्तु होने तथा चना, मसूर व दलहन पर दिनांक 08.05.2006 से 1 प्रतिशत करदेयता होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा तदनुसार कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि की गयी है। अतः अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 08.10.2009 को सर्वेक्षण किये जाने पर मौके पर लूज पर्चियां पायी गयी, जिसमें वर्ष 2005—06 से लेकर 2009—10 तक की उचन्ति बिक्री का हिसाब पाया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के मूल कर निर्धारण आदेशों के लिये ग्वार, चना, मसूर, दलहन, अनाज व खाली बारदाने की दर्शाई गई बिक्री को कम करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचन्ति बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर, तदनुसार ब्याज व करापवंचन के लिये शास्ति का आरोपण किया गया। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया है कि ग्वार दिनांक 01.04.2006 से ही करमुक्त घोषित किया हुआ है तथा चना, मसूर व दलहन पर दिनांक 08.05.2006 से 1 प्रतिशत की दर से करदेयता घोषित की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्तानुसार ग्वार पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया। मसूर, चना व दलहन पर 1 प्रतिशत की दर से आरोपित कर, ब्याज व शास्ति की पुष्टि की गयी तथा अन्य उचन्त बिक्री पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति की यथावत पुष्टि की गयी है।

9. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से यह पीठ पूर्णतः सहमत है। अतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत पाँचों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।

22/10/2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य